भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 676

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों में बंद व्यक्तियों के संबंध में एन०एच०आर०सी० के दिशानिर्देश

676. श्री राजकुमार धूत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन०एच०आर०सी०) ने जेलों में बंद व्यक्तियों और उनकी रिहाई के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन०एच०आर०सी० के इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने कैदियों को जेलों से रिहा किया गया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क) और (ख): एन०एच०आर०सी० द्वारा दिनांक 08.11.1999 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कैदियों को समय से पहले रिहा करने के विषय में प्रक्रिया/दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिनांक 08.11.1999 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के बाद, एन०एच०आर०सी० द्वारा दिनांक 26.09.2003 को कैदियों को समय से पहले रिहा करने के विषय में संशोधित प्रक्रिया/दिशानिर्देश जारी किए गए जिसमें समय से पूर्व रिहाई के लिए पात्रता का उल्लेख था। एन०एच०आर०सी० ने जेल में बंद मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी दिनांक 11.09.1996 और 07.02.2000 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए थे।

(ग): संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अधीन 'कारागार' राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। इस संबंध में केन्द्रीकृत रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

*****